

आर.टी.आई. मामला

सं. यू-16011/1/2020-ओ एंड एम

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक दिसंबर, 2020

आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) की धारा 5(1), 5(2) और 19(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता मामले विभाग के निम्नलिखित अधिकारी उनके नामों के सम्मुख उल्लिखित अनुभागों/डेस्कों के संबंध में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) नामोदिष्ट किए गए हैं:


नामोदिष्ट केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

क्रम सं.	केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी	प्रभाग/डेस्क/यूनिट/ अनुभाग	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	
	नाम और पदनाम	नाम और पदनाम		
1.	श्री पी.एस. ठाकुर, अवर सचिव	ई.सी.आर. एंड ई.	श्री सीता राम मीणा, निदेशक	
2.	श्रीमती जयलक्ष्मी कण्णन, अवर सचिव	सी.डब्ल्यू.एफ.	श्री सुरेन्द्र सिंह, उप सचिव	
3.	श्रीमती जयलक्ष्मी कण्णन, अवर सचिव	रोकड़	श्री भाष्कर वर्मा, सी.सी.ए.	
4.	श्री डी.के. सोनकर, उप निदेशक	सहकारिता	श्री एस.एस. ठाकुर, निदेशक	
5.	श्री चरनजीत गुलाटी, अवर सचिव	सामान्य प्रशासन	श्री एस. के. प्रसाद, उप सचिव	
6.	श्री पी.एस. ठाकुर, अवर सचिव	सतर्कता	श्री प्रदीप भट्टाचार्य, निदेशक	
7.	श्री ए.के. पाण्डेय, अवर सचिव	स्थापना	श्री एस.के. प्रसाद, उप सचिव	
8.	श्रीमती जसबीर तिवारी, अवर सचिव	संसद और समन्वय	श्री प्रदीप भट्टाचार्य, निदेशक	
9.	श्री ए.के. पाण्डेय,	बी.आई.एस.	श्री धर्मेश मकवाना, निदेशक	

जारी...2/

	अवर सचिव		
10.	श्रीमती जयश्री नारायणन, अवर सचिव	सी.पी.यू.	श्री जी.सी. राउत, उप सचिव
11.	श्री पी.के. त्यागी, अवर सचिव	आंतरिक वित्त एवं बजट	श्री आर.सी. धनकड़, निदेशक
12.	श्री आशुतोष अग्रवाल, उप निदेशक	विधिक मापविज्ञान /बाट और माप	श्री बी.एन. दीक्षित, निदेशक
13.	श्री चरनजीत गुलाटी, अवर सचिव	प्रतीक चिह्न और नाम	श्री सीता राम मीना, निदेशक
14.	श्री टी.टी.के. मुआन, अवर सचिव	लोक शिकायत/एनसीएच	श्री सीता राम मीना, निदेशक
15.	श्री एस.के. मिश्रा, अवर सचिव	प्रचार	श्री आलोक कुमार वर्मा, निदेशक
16.	श्री ए.के. पाण्डेय, अवर सचिव	प्रत्यक्ष विक्री	श्री जी.सी. राउत, उप सचिव
17.	श्री डी.के. सोनकर, उप निदेशक	राष्ट्रीय परीक्षण शाला	श्री धर्मेश मकवाना, निदेशक
18.	श्री सतीन्दर कुमार, उप निदेशक	मूल्य निगरानी प्रभाग	श्री अभय कुमार, निदेशक
19.	श्री अशोक कुमार, सहायक निदेशक	राजभाषा	श्री कामथेंग गुइते, आर्थिक सलाहकार

किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के छुट्टी पर जाने या तीन दिनों से अधिक समय तक पद रिक्त रहने की स्थिति में उनका आसन्न वरिष्ठ अधिकारी ऐसी अनुपस्थिति के दौरान केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्य का निर्वहन करेगा और तदनुसार उस मामले में अपील के निपटान की जिम्मेदारी अगले उच्च अधिकारी की होगी। प्रथम अपीलीय अधिकारी के एक सप्ताह या इससे अधिक समय तक अनुपस्थित रहने पर, नियमित पदधारी का कार्य देख रहा संपर्क अधिकारी (लिंक आफिसर) अवधि विशेष के दौरान अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा।


 (प्रदीप मटनागर)
 निदेशक (पी.एंड.सी.)
 दूरभाष: 23389327